

होटल / मोटल को मान्यता प्रदान एवं अवधि विस्तार हेतु वांछित अभिलेख :-

1	जमीन के निबंधन / लीज / किराया एकरारनामा से संबंधित कागजात की छायाप्रति
2	दुकान एवं प्रतिष्ठान अधीनियम के तहत रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र
3	संचालक का सचित्र पहचान पत्र पूरे पते के साथ
4	होटल टैरिफ़ / दर की सूची
5	होटल में पर्यटकों के सुविधाओं की विवरणी (उदहारण स्वरूप - पार्किंग, गर्मपानी, स्वीमिंग पूल इत्यादि)
6	अग्निशमन सुरक्षा से संबंधित प्रमाण-पत्र
7	आयकर विवरणी विगत 03 (तीन) वर्षों की
8	15 कमरों तक रुपये 3,000 (तीन हजार) की डी० डी० 15 से अधिक कमरों के लिए 5,000 (पाँच हजार) की डी० डी० निदेशक, पर्यटन, बिहार के पदनाम से (शुल्क के रूप में)
9	होटल / मोटल पर किसी प्रकार के कानूनी कार्रवाई / मुकदमा लंबित नहीं रहने से संबंधित शपथ पत्र
10	प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्रमाण-पत्र